कल्याण प्रसाद — श्रीमती शाफिका बानो
दर० बीच

| हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| 25-319 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट~~/प्रार्थी/~~अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29-319 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर | |
| 29-319 वकील प्रार्थी उप०। बीच प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी | |

न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 7/2009 | 19.3.2009 | 29.3.2019 |

कल्याण प्रसाद पुत्र श्रीनारायण, ब्राह्मण निवासी चूली तहसील गंगापुर सिटी

——प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती शकीका बानो पत्नी फुरकान जाति मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. फुरकान पुत्र मुराद जाति मुसलमान निवासी उदेईकलां तह. गंगापुर सिटी
3. गोपी पुत्र लटूर जाति माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र ब्रीच

उपस्थित :—श्री शिवचरण शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख0नं0 2688, 2689, 2690, 3295 ग्राम उदेईकलां में स्थित है। इस भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है तथा दावे में दर्ज प्रतिवादी नं0 1 रामकिशोर का 1/2 हिस्सा है। रामकिशोर ने अपने हिस्से की भूमि ख0नं0 2688, 2689, 2690 अप्रार्थी नं0 1 को जरिए विक्रयपत्र दिनांक 30.8.2006 विक्रय कर दी परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि का नामान्तरण नहीं हुआ। उक्त विक्रयपत्र की आड में अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त तथा उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने को उतारू हो गए। इस कारण प्रार्थी ने दावा उनवानी कल्याण बनाम रामकिशोर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। साथ ही प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने दिनांक 24.12.2007 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आगामी आदेश तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि वे भूमि ख0नं0 2688 रकबा 54 एयर, ख0नं0 2689 रकबा 35 एयर, ख0नं0 2690 रकबा 30 एयर, ख0नं0 3295 रकबा 17 एयर ग्राम उदेईकलां के 1/2 हिस्से की भूमि के मौके व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें न ही किसी अन्य से कराने के लिए पाबंद किया गया। अप्रार्थीगण बदमाश प्रवृति के व्यक्ति हैं जो कानून की परवाह नहीं करते हैं तथा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24.12.07 की खुले आम अवहेलना करते हुए कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर रहे हैं। इस वर्ष प्रार्थी ने भूमि ख0नं0 2688, 2689, 2690 में अपने हिस्से में गेहूं की फसल काश्त की थी जो पककर तैयार थी। दिनांक 4.3.09 को प्रार्थी सुबह 9 बजे अपनी गेहूं की लावणीं करने गया तो अप्रार्थी शकीका बानो, फुरकान तथा इनके साथ गोपी माली व दो अन्य व्यक्ति मिलकर प्रार्थी की गेहूं की फसल जो करीब 20 क्विन्टल थी व चारा सहित

10 हजार रुपए की थी को जबर्दस्ती काटकर ले जा रहे थे। प्रार्थी ने मना किया तो अप्रार्थीगण नाराज हो गए व गाली गलौंच कर मारपीट पर आमादा हो गए तथा एलानिया कहा कि हम न्यायालय के आदेशों को नहीं मानते हैं एवं माननीय न्यायालय के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया व कहा कि हमारा बार कोर्ट मजबूत है, कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड सकता है। अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेश की खुले आम अवहेलना करते हुए प्रार्थी की गेहूं की फसल जबर्दस्ती काटकर ले गए। अप्रार्थीगण का यह कृत्य माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24.12.07 की स्पष्ट अवज्ञा है जिसके लिए अप्रार्थीगण को दण्डित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24.12.07 की अवज्ञा किए जाने के परिणामस्वरूप तीन तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया जावे एवं उनकी चल व अचल सम्पत्ती कुर्क की जाकर नीलाम करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ अतः अप्रार्थी नं0 3 के विरूद्ध दिनांक 30.7.2009 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से इनके अभिभाषक उपस्थित हुए परन्तु इनकी ओर से जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर अप्रार्थी नं0 1 व 2 का दिनांक 6.11.2009 को जबाब बन्द किया गया।

अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु बार बार समय मांगा जाता रहा एवं इनकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर अप्रार्थी नं0 1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 26.9.2013 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से दिनांक 31.1.2014 को प्रार्थना पत्र तहत आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर एकतरफा कार्यवाही आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2014 को रू0 400/– हर्जे पर स्वीकार किया गया। इसके बाद मजावली में अप्रार्थी नं0 1 व 2 को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु बार बार अवसर दिया जाता रहा परन्तु दिनांक 30.3.2017 को अप्रार्थी नं0 1 व 2 व उनके वकील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध पुनः एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थी ने अपने ब्रीच प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशिका दिनांक 24.12.07 बउनवानी मुकदमा कल्याण प्रसाद बनाम रामकिशोर , प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदर्श–1 प्रस्तुत की है एवं प्रार्थी कल्याण प्रसाद व गवाह दीपक शर्मा के बयान कराए हैं।

बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने ब्रीच प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। इस न्यायालय के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.12.07 के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रार्थी के 1/2 हिस्से की भूमि के मौके व रेकार्ड के अनुसार प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने न ही किसी अन्य से कराने हेतु पाबंद किया गया था। ब्रीच प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ने इस आदेश की दिनांक 4.3.09 को अवहेलना की है। ब्रीच प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण द्वारा उसकी गेहूं की फसल काटकर ले जाने का वाकया बताया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा ब्रीच प्रार्थना पत्र में दर्शाए गए विवरण के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 व 2 की सहखातेदारी की भूमि रही है जिसका मौके पर कोई विभाजन नहीं हो रहा है। प्रार्थी का कौनसा 1/2 हिस्सा भूमि का है यह प्रार्थी ने किसी दस्तावेज से प्रमाणित नहीं किया है। जहां तक घटना दिनांक 4.3.09 का प्रश्न है, इस घटना का कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी ने अपने बयानो में जिरह में स्वीकार किया है कि उसने घटना की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें पुलिस ने एफ0आर0 दे दी । इस सब तथ्यों से प्रार्थी का ब्रीच प्रार्थना पत्र दस्तावेजी एवं स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होता है एवं खारिज किए जाने योग्य है।

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ब्रीच प्रार्थना पत्र दस्तावेजी एवं स्वतंत्र साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( विजेन्द्र कुमार मीना )
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.12.05 16:10:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: